

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-2(108)स्था/अभि/2016/1280-99

जयपुर, दिनांक:- 12.10.2022

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा वर्ष 2015 में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा श्री शिवपुरी का चयन किया गया। श्री शिवपुरी द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत फॉर्म में यह अंकित किया कि सेशन प्रकरण संख्या 317/2003 राज्य बनाम सोहन पुरी व अन्य में उसे दोषी ठहराया गया, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील पेश की एवं न्यायालय ने दण्डादेश को स्थगित किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से अभ्यर्थियों की सूची एवं पुलिस सत्यापन के पश्चात् प्रकरणों के परीक्षण हेतु गठित समिति ने श्री शिवपुरी को नियुक्ति प्रदान नहीं किये जाने की अनुशंसा की, जिसके आधार पर सक्षम स्तर से श्री शिवपुरी को सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

श्री शिवपुरी ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 7167/2017 शिवपुरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य पेश की। न्यायालय द्वारा उक्त याचिका का दिनांक 28.11.2017 को निस्तारण कर आदेश प्रदान किया कि याची विभाग में अभ्यावेदन पेश करें एवं विभाग उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवतार सिंह बनाम भारत संघ (2016) 8 SCC 471 में प्रदान किये गए निर्णय के अनुरूप करें। निदेशक अभियोजन द्वारा श्री शिवपुरी के अभ्यावेदन का निस्तारण दिनांक 19.02.2018 के द्वारा करते हुए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया।

तत्पश्चात् श्री शिवपुरी ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 5283/2018 शिवपुरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य पेश की। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका का निस्तारण दिनांक 15.04.2019 (पताका-E) के द्वारा करते हुए निम्न आदेश पारित किया:-

“Consequently, the writ petition filed by the petitioner is allowed. The order dated 19.02.2018 is quashed and set aside. The respondents are directed to accord appointment to the petitioner pursuant to his selection, if he is otherwise eligible. However, the said appointment shall remain subject to final outcome of S.B. Criminal Appeal No. 894/2005 pending before this Court and in case, the conviction of the petitioner is upheld, the order of appointment shall stand cancelled automatically and it shall not be required of the respondents to thereafter issue any show cause notice to the petitioner in this regard.”

उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में विशेष अपील पेश किये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय मे स्थगन प्राप्त नहीं होने के कारण श्री शिवपुरी को “subject to decision of appeal नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाकर श्री शिवपुरी को नियुक्ति प्रदान की गई।

राज्य सरकार द्वारा पेश अपील डी.बी स्पेशल अपील रिट 695/2019 राजस्थान राज्य अ अन्य बनाम शिवपुरी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2019 को द्वारा स्वीकार किये जाने के फलरूप निदेशक अभियोजन ने श्री शिवपुरी की नियुक्ति को निरस्त कर दिया।

श्री शिवपुरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में पेश एस.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 894/2005 सोहन पुरी बनाम राजस्थान राज्य का निर्णय दिनांक 23.03.2022 को हुआ जिम्म न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त किया गया है।

उक्त प्रकरण में विधि विभाग द्वारा विशेष अनुमति याचिका पेश नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.1 कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 28.10.2016 की अनुपालना में गठित समिति ने प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण कर श्री शिवपुरी पुत्र श्री गणेश पुरी को सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की है। वर्तमान में सहायक अभियोजन अधिकारी का एक पद श्री शिवपुरी के वादकरण की वजह से रिक्त रखा गया है।

अतः राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ. 7 (25) भर्ती "क"/APO (Non-TSP)2013-14/1966 दिनांक 06.12.2016 के द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पद हेतु चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियम 1978 के नियम 24 के अन्तर्गत नीचे आदेश में स्थित तालिका में वर्णित अभ्यर्थी को निम्न शर्तों पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

1. राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के नियम 26 (1) में नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी को दो वर्ष का परीक्षा काल होगा। परीक्षा काल में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 16 के अनुसार परीक्षाकाल की कालावधि में अनुसूची IV के अनुसार नियत पारिश्रमिक एल-11 में रुपये 26500/- देय होगी।
2. श्री शिवपुरी उपस्थिति दिनांक से 10 दिवस तक संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन के अधीन व्यावहारिक प्रशिक्षणाधीन रहेगे। देय नियत पारिश्रमिक में से जीपीएफ एवं राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी तथा इन्हें किसी प्रकार का भत्ता यथा विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, ऐडहोक बोनस आदि देय नहीं होगा। परीक्षाधीन कालावधि में कार्य ग्रहणकाल एवं कार्यग्रहण करने के लिये यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कार्यग्रहण करने के पश्चात् राजकीय कार्य के लिए की गयी यात्रा हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण होने पर मील भत्ता नियत पारिश्रमिक के आधार पर देय होगा। परीक्षाधीन कालावधि में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। यदि एक कलेण्डर वर्ष से कम सेवा की अवधि हो तो उसी अनुपात में आकस्मिक अवकाश की गणना की जायेगी।
3. श्री शिवपुरी, सहायक अभियोजन अधिकारी को दो वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 की अनुसूची 1st (पार्ट -1) नियम-5 (V) के अनुसार पे-मेट्रिक्स में पे-लेवल (एल-11) में न्युनतम देय होगी। नये भर्ती नियमों के अनुसार इनको अशंदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4. श्री शिवपुरी आदेश जारी होने की तिथि से 07 दिवस में आवश्यक रूप से उनके नाम के सामने अंकित सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में उपस्थिति देंगे। उपस्थिति के समय मेडिकल ज्यूरिस्ट/सीएम एण्ड एच ओ से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपस्थिति मान्य होगी। अभ्यर्थी नियुक्त के समय संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि उनके संबंध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के पश्चात् पद ग्रहण करने की तिथि तक उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उपरोक्त नवनियुक्त वे सेवा सम्बन्धी किसी प्रकार की निरर्हता से ग्रसित नहीं हैं।


अभ्यर्थी का पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

मेरिट संख्या	नाम अभ्यर्थी मय पता	वर्ग	जन्म तिथि	पदस्थापन न्यायालय का नाम
68	श्री शिवपुरी पुत्र श्री गणेश पुरी निवासी उस्तो की बारी के बाहर राजू पब्लिक स्कूल के पास, बीकानेर (राज.) 334005	ओ.बी.सी. (सामान्य पद के विरुद्ध चयनित)	18.01.1979	न्यायालय एसीजे (जेडी) एमएम सं० 1, जोधपुर महानगर, जोधपुर

— हस्ताक्षर —
(भानूप्रकाश एटूरू)
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
6. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
7. संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।/कार्मिक
8. संस्थापन शाखा (अराजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर